पत्रांक–18/प्रशि0–01–06/2024 सा0 प्र0 144/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
मुख्य सचिव, बिहार।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/
प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी
बिहार।

दिनांक– 02.01.2025

विषय :– सभी पदाधिकारियों/कर्मियों को iGOT कोर्सेज करने की अनिवार्यता के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि राज्य सरकार ने Capacity Building Commission के साथ एक MoU माह अक्टूबर 2024 में हस्ताक्षरित किया था जिसके तहत मिशन कर्मयोगी के तत्वावधान में iGOT कोर्स को सारे पदाधिकारियों/कर्मियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

2. इस प्रकार के प्रशिक्षण की नोडल संस्था बिपार्ड है। बिपार्ड द्वारा इस पूरे कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जाता है। Capicity Building Commission से बिपार्ड का MoU हुए अब तीन माह होने को है, किंतु अभी तक एक लाख कर्मियों ने ही निःशुल्क सुविधा का लाभ उठाकर प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

3. उल्लेखनीय है कि iGOT कोर्स को कोई भी पदाधिकारी और कर्मी अपने कम्प्यूटर अथवा मोबाईल से लॉग इन करके अपने पसंद का कोई कोर्स कर प्रमाण–पत्र हासिल कर सकता है। यह कोर्स 7 मिनट से लेकर 9 घंटे तक कि अवधि तक के होते हैं और कोई पदाधिकारी/कर्मी अपनी रूचि एवं सुविधानुसार इस कोर्स को कर सकते हैं। इसमें योग, लाइफस्टाइल, आई0टी0, कानून, प्रबंधन इत्यादि से संबंधित कुल 1620 कोर्सेज हैं।

4. जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे जिला स्तर पर सभी कर्मियों को यह कोर्सेज करने हेतु प्रेरित करें।

5. सभी विभाग अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों को प्रेरित कर कम से कम एक कोर्स फरवरी 2025 तक अवश्य करा लें।

6. साथ ही यह भी परामर्श है कि साप्ताहिक बैठकों इसकी समीक्षा की जाय।

7. iGOT कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी बिपार्ड के श्री आरिफ मून रहमान, सहायक निदेशक, मो0–7979726568 ईमेल–bipardpatna@yahoo.in पर संपर्क किया जा सकता है।

विश्वासभाजन

2.1.25

मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांकः–17 / नोडल(iGOT)–06–01 / 2024 118 / पटना, दिनांक– 09.01.2025

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री का कोषांग / प्रधान सचिव का कोषांग / सभी अपर सचिव / सभी अभियंता प्रमुख / मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग / सभी संयुक्त सचिव(प्रबंधन सहित) / अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, 2, 3, 4 / सिंचाई / बाढ़ / उड़नदस्ता अंचल–1 सभी उप सचिव (प्रबंधन / काडा सहित) / सभी अवर सचिव (प्रबंधन सहित) / विधि पदाधिकारी / भू–अर्जन पदाधिकारी / जन सम्पर्क पदाधिकारी / आंतरिक वित्तीय सलाहकार / सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार / सांख्यिकी कोषांग / सभी प्रशाखा पदाधिकारी / कार्यपालक अभियंता, आई०टी० जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

09/01/25

(गुंजन कुमार)
अवर सचिव(प्रबंधन)
–सह–नोडल पदाधिकारी